



॥ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥

कमांक

शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय

बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

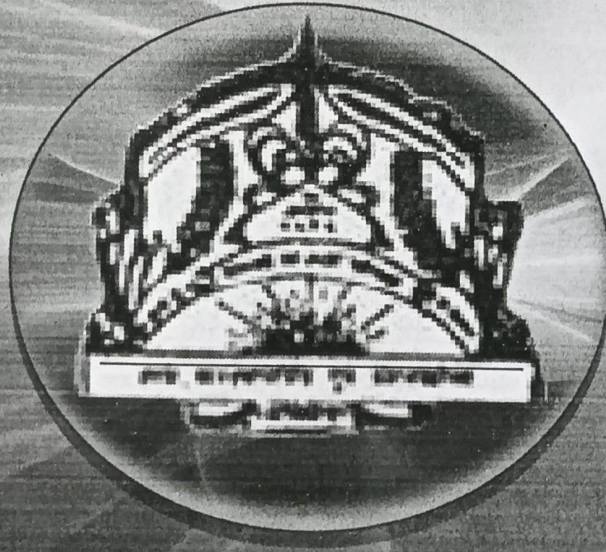
(15 अगस्त 1983 से संचालित)

NAAC ACCREDITED INSTITUTE GRADE 'B'

website-www.govtcollbalod.ac.in

(हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संबद्ध)

(यू.जी.सी. की धारा 2 (F) एवं 12 (B) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त)



विवरण-पत्रिका

सत्र : 2026 - 2027

“रैगिंग दण्डनीय अपराध है।”



अनुक्रमणिका

प्रथम खण्ड

1. संस्था का परिचय	—	03
2. संचालित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट	—	
अ. संचालित पाठ्यक्रम	—	05
ब. प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट	—	06
3. शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ एवं विद्यार्थियों के लिए सुविधाएँ	—	07

द्वितीय खण्ड

1. प्रवेश संबंधी नियम	—	08
2. अनर्हता	—	09
3. प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र	—	10
4. शुल्क संबंधी विवरण	—	10
5. प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र	—	12
6. छात्रवृत्तियाँ/शिष्यवृत्ति	—	13
7. उपस्थिति निर्देश	—	13
8. अभिभावक शिक्षक बैठक	—	14

तृतीय खण्ड

1. विद्यार्थी आचार संहिता	—	14
2. महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र	—	15

चतुर्थ खण्ड

1. प्रवेश आवेदन-पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश एवं अभिलेख सूची	—	16
2. रैगिंग निषेध संबंधी प्रावधान	—	17
3. महाविद्यालय परिवार	—	18
4. शैक्षणिक कैलेण्डर	—	22-24
5. रैगिंग निषेध संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप	—	21-22



प्रथम खण्ड

1. संस्था का परिचय :-

छत्तीसगढ़ राज्य के हृदय स्थल में अवस्थित जिला बालोद का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है। शिक्षा और संस्कारों की नगरी में उच्च शिक्षा के प्रथम पायदान के रूप में शासकीय विज्ञान, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सन् 1983 को की गई। वर्तमान में इस महाविद्यालय को शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। स्थापना के प्रथम वर्ष में महाविद्यालय में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य की स्नातक उपाधि हेतु कुल 219 विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लिया गया था। निरन्तर प्रगति के अनेक सोपान तय करने के उपरांत सत्र 2025-26 में प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं की कुल संख्या 2816 तक पहुंच चुकी है।

प्रारंभिक वर्षों में महाविद्यालय नगर के जनपद पंचायत कार्यालय, गांधी भवन एवं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित होता था। सन् 1988 से शहर से दो कि.मी. की दूरी पर दुर्ग - दल्लीराजहरा मार्ग पर तांदुला जलाशय के मनोरम परिवेश के सन्निकट महाविद्यालय का अपना दो मंजिला भवन स्थापित है। वर्तमान में महाविद्यालय में 33 अध्यापन कक्ष, एक सभागार, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, बायोटेक, गृहविज्ञान आदि की प्रयोगशाला तथा 50 कम्प्यूटरों से सुसज्जित कम्प्यूटर लैब, विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की लगभग 30000 पुस्तकों एवं अकादमिक जर्नल्स की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक सुव्यवस्थित पृथक ग्रंथालय भवन भी उपलब्ध है। सत्र 2011-12 से महाविद्यालय में कन्या छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय परिसर में क्रीड़ा विभाग के अंतर्गत वर्ष भर क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन हेतु खो-खो, कबड्डी, व्हालीबाल, क्रिकेट व बैडमिंटन खेलों हेतु मैदान की सुविधा भी उपलब्ध है। महाविद्यालय में सत्र 2017-18 से कैन्टिन संचालित है।

अध्ययन विस्तार के दृष्टिकोण से भी महाविद्यालय प्रगति पथ पर अग्रसर है। सत्र 1986-87 से स्नातकोत्तर स्तर पर एम.कॉम. में अध्यापन की सुविधा प्रारंभ हुई। सत्र 1987-88 से महाविद्यालय में गणित तथा अर्थशास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारंभ हुई। वर्ष 1995-96 में विधि कक्षाएं भी प्रारंभ की गई। विधि संकाय हेतु महाविद्यालय परिसर में सर्व सुविधा युक्त पृथक भवन है।

सत्र 2003-04 में राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय में तथा सत्र 2007-08 से शासन द्वारा वनस्पतिशास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएं, प्रारंभ हुई। सत्र 2010-11 से विज्ञान संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर विज्ञान की कक्षाएं शासन की अनुमति से प्रारंभ हुई। सत्र 2013-14 से हिन्दी विषय की स्नातकोत्तर कक्षाएं जनभागीदारी मद से संचालित है। सत्र 2016-17 से स्नातक में भूगोल एवं बायोटेक्नोलॉजी की कक्षाएं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति से प्रारंभ हुई है। सत्र 2018-19 से स्नातक स्तर पर बी.सी.ए. कक्षाएं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति से प्रारंभ हुई। सत्र 2022-23 से स्नातकोत्तर स्तर पर एल. एल.एम. कक्षाएं प्रारंभ हुई एवं सत्र 2023-24 से एम.एस.सी. भौतिकशास्त्र तथा बी.ए. में अंग्रेजी विषय की कक्षाएं प्रारंभ हुई है।

संसाधनों की कमी के पश्चात् भी लगातार सफलता के नये पायदान पर चढ़ने के फलस्वरूप सत्र 2008 में महाविद्यालय को छ.ग. शासन द्वारा स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया तथा 2008 से महाविद्यालय का नामकरण उपरांत शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद किया गया। सन् 2012 में छ.ग. शासन द्वारा बालोद को जिला बनाने के पश्चात् इस महाविद्यालय को जिले का चिन्हित (अग्रणी) महाविद्यालय घोषित किया गया है।



सत्र 2012-13 में महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) का गठन किया गया है इस प्रकोष्ठ में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविद् एवं महाविद्यालय के प्राध्यापक सम्मिलित है।

शैक्षणिक सफलताओं में भी महाविद्यालय के विद्यार्थियों का कीर्तिमान अच्छा रहा है। कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं विधि संकाय के विद्यार्थी विगत वर्षों में विश्वविद्यालयीन परीक्षा की प्रावीण्य सूची में प्रतिवर्ष स्थान प्राप्त करते रहे हैं। सत्र 2024-25 में एम.एस.सी. गणित में 02, एम.ए. समजाशास्त्र में 06, एम.कॉम. में 01, एल.एल.बी. में 04 एवं एल.एल.एम. में 05 विद्यार्थी विश्वविद्यालयीन परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किये हैं।

खेल गतिविधियों के क्षेत्र में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एवं राज्य क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का प्रतिनिधित्व किया है। सत्र 2025-26 में 30 छात्र-छात्राओं ने विविध खेलों (एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हेण्डबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज, जू जित्सू फाईट, खो-खो) में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में भाग लिये जिसमें 03 खिलाड़ियों ने गोल्ड एवं सिल्वर मेडल प्राप्त किये।

छात्र/छात्राओं को रोजगार एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन हेतु कैरियर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त जैण्डर ईशू प्रकोष्ठ, ऐण्टी रैगिंग प्रकोष्ठ एवं शिकायत निवारण समिति भी गठित है जो छात्र/छात्राओं के हित के लिये प्रयासरत है।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेडक्रास सोसायटी की सक्रिय भूमिका रही है प्रतिवर्ष रेडक्रास सोसायटी द्वारा नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं की ब्लड ग्रुप जांच की जाती है। प्रतिवर्ष छात्रगण ब्लड डोनशन का भी कार्य करते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधा रोपण कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) शिविर बौद्धिक विकास एवं अकादमिक गतिविधियां, कार्यशाला, सेमीनार, विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आदि का आयोजन विद्यार्थियों के लाभार्थ किये जाते हैं।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा महाविद्यालय का अगस्त 2022 में द्वितीय चक्र का नैक मूल्यांकन किया गया जिसमें महाविद्यालय को 2.08 सी.जी.पी.ए. के साथ बी. ग्रेड प्राप्त हुआ है।

महाविद्यालय अपनी गरिमा एवं अनुशासन के साथ-साथ वार्षिक शैक्षणिक कैलेण्डर का परिपालन करते हुए सफलता के साथ प्रगति पथ की ओर बढ़ रहा है।



2. संचालित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान :-

अ – संचालित पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों का विषय संयोजनयुक्त विवरण निम्न प्रकार से है।

स्नातक स्तर : (NEP2020 के तहत)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा NEP2020 के तहत राज्य में सत्र 2024-25 से स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू किया गया है। जिसके परिपालन में हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत इस महाविद्यालय में संचालित स्नातक प्रथम सेमेस्टर के DSC, DSE, GE, SEC एवं VAC का संकायवार जानकारी अंतिम पृष्ठ पर अवलोकन हेतु उल्लेखित है।

A. कला संकाय (बी.ए.) :

DSC के अंतर्गत निम्न वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं तीन (03) समूहों में से एक विषय का चयन करना होगा

समूह एक	—	हिन्दी साहित्य
समूह दो	—	अर्थशास्त्र
समूह तीन	—	राजनीति विज्ञान/गृह विज्ञान
समूह चार	—	समाज शास्त्र
समूह पांच	—	इतिहास/अंग्रेजी साहित्य
समूह छः	—	भूगोल

B. विज्ञान संकाय (बी.एस.सी.) :

DSC के अंतर्गत निम्न समूहों में से किसी एक (01) समूह का चयन करना होगा –

समूह एक	—	गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र
समूह दो	—	गणित, भौतिक शास्त्र, कम्प्यूटर साइंस
समूह तीन	—	रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र,
समूह चार	—	रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)
समूह पांच	—	रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)

C. कम्प्यूटर एप्लीकेशन संकाय (बी.सी.ए.) :

विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के अनुसार विद्यार्थियों को सभी अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना होगा।

D. वाणिज्य संकाय (बी.काम.) :

विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के अनुसार विद्यार्थियों को सभी अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना होगा।

E. विधि संकाय (एल.एल.बी.)

इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सेमेस्टर पद्धति से महाविद्यालय में अध्यापन कार्य संचालित किया जा रहा है।

अतः सभी सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनिवार्य विषयों में ही अध्यापन किया जा रहा है।

II. स्नातकोत्तर स्तर :

महाविद्यालय में संचालित निम्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन कार्य किया जाता है –



A. कला संकाय :

एम.ए. —	अर्थशास्त्र	एम.ए. —	समाजशास्त्र
एम.ए. —	राजनीतिशास्त्र	एम.ए. —	हिन्दी (जनभागीदारी मद से संचालित)

B. विज्ञान संकाय :

एम.एस.सी. —	गणित	एम.एस.सी.—	वनस्पतिशास्त्र
एम.एस.सी. —	भौतिकशास्त्र		

C. वाणिज्य संकाय :

एम.काम.

D. विधि संकाय :

एल.एल.एम.

अन्य : Value Added Courses

महाविद्यालय के विभिन्न संकाय द्वारा Value Added Courses संचालित किया जाता है जिसमें महाविद्यालय के नियमित/अमहाविद्यालयीन विद्यार्थी चयन कर सकेंगे हैं।

टीप — 1. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं चयनित वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में ही प्रवेश दिया जावेगा।

2. विद्यार्थी अपनी उपाधि के लिए विषयों का चयन सावधानी पूर्वक करें।

3. विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना तथा निश्चित अवधि के बाद प्रवेश समिति एवं विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के बिना नहीं होगा।

ब — प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट

1.	बी.ए. प्रथम सेमेस्टर	—	400 (भूगोल में 100 सीट एवं अंग्रेजी साहित्य में 50 सीट सम्मिलित)
2.	बी.काम प्रथम सेमेस्टर	—	200
3.	बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (बायो समूह)	—	220 (बायोटेक्नालॉजी की 30 सीट सम्मिलित)
4.	बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (गणित समूह)	—	150
5.	बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (कम्प्यूटर साइंस)	—	150
6.	बी.सी.ए. प्रथम सेमेस्टर	—	50
7.	एम.काम. प्रथम सेमेस्टर	—	60
8.	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (वनस्पति शास्त्र)	—	60
9.	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (गणित)	—	50
10.	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (भौतिकशास्त्र)	—	40
11.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (अर्थशास्त्र)	—	50
12.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (समाज शास्त्र)	—	50
13.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (राजनीति शास्त्र)	—	50
14.	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (हिन्दी)	—	50
15.	एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर	—	60
16.	एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर	—	20



3. शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ एवं विद्यार्थी के लिए सुविधाएँ :-

राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी एवं वि.वि. के अकादमिक कैलेंडर के अनुसार महाविद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ होगा।

ग्रंथालय

महाविद्यालय में ग्रंथालय एवं वाचनालय की व्यवस्था है। नियमित विद्यार्थियों को ग्रंथालय से पुस्तकें दी जाती हैं। विद्यार्थी इस संबंध में ध्यान दें कि उनके संकाय हेतु निर्धारित दिन एवं निश्चित समय पर ही ग्रंथालय से पुस्तकों का लेन-देन करें। पुस्तकें प्राप्त करते समय उन्हें अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एक विद्यार्थी द्वारा उसे दी गई पुस्तकें खो देने अथवा क्षतिग्रस्त कर दिये जाने पर पुस्तक का नवीनतम मूल्य एवं अर्थदण्ड की वसूली की जा सकेगी। मात्र 14 दिनों के लिये एक पुस्तक दी जा सकती है। पुस्तकें 14 दिनों से अधिक रखने पर प्रतिदिन 1रु. की दर से अर्थदण्ड देना होगा। स्नातकोत्तर कक्षाओं में सभी विभागों के विभागीय ग्रंथालय भी संचालित हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकालय में N.List सुविधा भी उपलब्ध है।

अधोलिखित बातों पर ध्यान दें :-

1. पुस्तकें निर्गत करते समय सावधानीपूर्वक उनका निरीक्षण कर लें। पुस्तक के पृष्ठ कटे-फटे या गायब होने पर ग्रंथालय को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करा लें।
2. पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तक में लिखना, रेखांकित करना, पृष्ठ को निकालना या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना दण्डनीय कार्य है।
3. पुस्तक एक अच्छा साथी है। अध्ययन काल में विद्यार्थी की वह सच्ची जीवनदर्शिका है। अतः विद्यार्थियों को चाहिये कि वे उसकी सुरक्षा के निमित्त ग्रंथालय के सभी नियम - निर्देशों का भली भांति पालन करें।

निम्न समय सारणी अनुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है।

1. ग्रंथालय की सदस्यता : प्रवेश के साथ ही सदस्य सूची में सम्मिलित किया जाता है।
2. ग्रंथालय से विद्यार्थियों को पुस्तकें निर्गत एवं वापसी संबंधी :-

समय-सारणी

क्रमांक	दिन	कक्षा	समय
1	सोमवार	बी.ए. प्रथम सेमेस्टर	प्रातः 11:00 से 4:30 बजे तक
2	मंगलवार	बी.ए. तृतीय/पंचम सेमेस्टर	प्रातः 11:00 से 4:30 बजे तक
3	बुधवार	एल.एल.बी. भाग - 1, 2, 3, एल.एल.एम. एम.ए. - समाजशास्त्र, हिन्दी, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र एम.एस.सी. - वनस्पतिशास्त्र, गणित एवं भौतिकशास्त्र	प्रातः 11:00 से 4:00 बजे तक प्रातः 11:00 से 4:30 बजे तक
4	गुरुवार	बी.सी.ए. - सभी सेमेस्टर, बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (बायो/गणित /कम्प्यूटर विज्ञान)	प्रातः 11:00 से 4:30 बजे तक
5	शुक्रवार	बी.काम. - सभी सेमेस्टर, एम.कॉम.	प्रातः 10:00 से 4:00 बजे तक
6	शनिवार	बी.एस.सी. तृतीय/पंचम सेमेस्टर (बायो/गणित/कम्प्यूटर विज्ञान)	प्रातः 11:00 से 4:00 बजे तक

3. ग्रंथालय/वाचनालय : 10:30 बजे से 05:30 बजे तक
4. संदर्भ सेवा : 11:00 बजे से 04:00 बजे तक
5. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बी.पी.एल. छात्र/छात्राओं को बुक बैंक योजनांतर्गत पुस्तकें संबंधी दिशा



निर्देश/नियमों की जानकारी/प्रशिक्षण :

अगस्त, सितम्बर

6. अनुसूचित जाति/जनजाति बुक बैंक/बी.पी.एल. छात्र-छात्राओं से आवेदन मंगाना एवं वर्ष भर के लिए पुस्तकें निर्गत करना : अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर
 7. ग्रंथालय सेवा का उपयोग हेतु छात्र/छात्राओं का उन्मुखीकरण कक्षावार : अगस्त
 8. ग्रंथालय व्यवसायिक/रोजगार मार्गदर्शन (प्रकोष्ठ द्वारा) : प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार
 9. वार्षिक परीक्षा पूर्व नियमित छात्र/छात्राओं को अदेय प्रमाण पत्र प्रदाय : फरवरी
- नोट : 1. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति सप्ताह सोमवार और मंगलवार को विभागीय पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों का निर्गमन कार्य किया जायेगा। (विभागाध्यक्ष द्वारा घोषित समयानुसार)

शारीरिक प्रशिक्षण एवं क्रीड़ा :-

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए और शरीर कल्याण मण्डल द्वारा अनुमोदित शारीरिक शिक्षण की व्यवस्था की गई है। महाविद्यालय का शारीरिक शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के खेल कैलेंडर अनुसार नियमित छात्रों के लिए प्रतिवर्ष क्रमशः शतरंज, खो-खो, कबड्डी, टेबल टेनिस, कुश्ती, व्हालीबाल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बैडमिंटन आदि खेलों का प्रशिक्षण एवं आयोजन करता है। खेलों में आउटडोर एवं इनडोर दोनों प्रकार के खेलों की शिक्षा दी जाती है एवं प्रशिक्षण के पश्चात महाविद्यालय की विभिन्न खेलों की टीमों विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करती हैं। महाविद्यालय में खो-खो, कबड्डी, क्रिकेट, व्हालीबाल, बैडमिंटन खेलों में मैदान की सुविधा उपलब्ध है।

महाविद्यालय के मिनी स्टेडियम में खेल अधिकारी प्रातः 8 से 10 बजे तक छात्रों को खेल प्रशिक्षण देते हैं इसके अतिरिक्त संध्या 4 से 6 बजे तक बैडमिंटन, बास्केट बाल व व्हालीबाल जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आयुक्त उच्च शिक्षा एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा प्रेषित कैलेंडर के अनुसार विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं महाविद्यालय स्तर आयोजित किया जाना संभव होगा।

रियायतें :- राज्य एवं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को नियमानुसार प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी। छात्र/छात्राएं प्रवेश के बाद जिन खेलकूदों में उनकी विशेष रुचि हो उसकी सूचना क्रीड़ा अधिकारी को दें।

राष्ट्रीय सेवा योजना :-

महाविद्यालय में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा 100 विद्यार्थियों की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संचालित है। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा विविध सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सेवा भावना जागृत करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजन के साथ-साथ बौद्धिक विकास हेतु अन्य नियमित गतिविधियां संचालित की जाती है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा :-

महाविद्यालय को छ.ग. शासन की कौशल विकास योजना के अंतर्गत VTP (व्होकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर) संस्था के रूप में भी उद्योग विभाग द्वारा पंजीकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सॉफ्ट स्किल, बैंकिंग, एकाउंटिंग, सूचना तकनीक, कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत इच्छुक छात्र/छात्राओं तथा स्थानीय युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यह प्रशिक्षण महाविद्यालय के नियमित अध्यापन समय के पश्चात ही दिया जा सकेगा।

छात्रावास सुविधा :- महाविद्यालय में छात्राओं के लिये 50 सीट का छात्रावास सुविधा उपलब्ध है।



द्वितीय खण्ड

1. प्रवेश संबंधी नियम :-

1. स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर (NEP2020 के तहत सेमेस्टर प्रणाली) में प्रवेश हेतु वे विद्यार्थी पात्रता रखेंगे, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़, रायपुर से 10+2 कक्षा अथवा अन्य समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों एवं अधिभार (जहां देय है) देकर कुल प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।
2. स्नातकोत्तर/विधि संकाय के प्रथम वर्ष में स्नातक समन्वित पाठ्यक्रम परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्रायें ही प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों एवं अधिभार (जहां देय है) देकर कुल प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।
3. वांछित संकाय में प्रवेश न होने की स्थिति में अन्य वैकल्पिक संकाय में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी अलग-अलग वैकल्पिक संकाय के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। संकाय परिवर्तन की स्थिति में पांच प्रतिशत प्राप्तांक घटाकर प्रवेश सूची में गुणात्मक का निर्धारण किया जावेगा।
4. महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश नवीनीकरण उनके द्वारा पिछली अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर लिये जाने पर नियमानुसार किया जा सकेगा।
5. प्रवेश इच्छुक ऐसे विद्यार्थी जिनका अध्ययन लगातार न हुआ, के आवेदन पर स्थान रिक्त रहने पर गुणानुक्रम के आधार पर ही विचार किया जावेगा। प्रवेश प्राथमिकता का क्रम कमशः उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व एवं स्वाध्यायी उत्तीर्ण आवेदकों के अनुसार होगा।
6. छत्तीसगढ़ बोर्ड तथा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग को छोड़कर अन्य बोर्ड तथा विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवजन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
7. राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी शासकीय कर्मचारी का पदांकन छत्तीसगढ़ में होने की स्थिति में उनके पुत्र/पुत्रियों को प्रवेश दिया जावेगा, बशर्ते स्थान रिक्त हो तथा पूर्वोक्त शर्तें पूरी की जायें। इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा खोले गये अन्तर्राज्यीय व्यवसायों के कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियों को भी प्रवेश उपलब्ध रहने पर प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही संभव होगा।
8. महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग विद्यार्थियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों/प्रपौत्र व प्रपौत्री हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित स्थान आरक्षित रहेंगे। सभी वर्गों हेतु उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं हेतु आरक्षित रहेंगे।
9. आरक्षण व्यवस्था एवं प्रवेश नियम संबंधित सत्र में शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुसार अधिशासित होगा।

2. अनर्हता :-

निम्न प्रकार के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा -

1. जिन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयीन परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया गया हो।
2. जिन विद्यार्थियों के विरुद्ध महाविद्यालय से संबंधित गंभीर अपराध का प्रकरण न्यायालय में लंबित हो।
3. जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित किया हो।



4. जो छात्र स्नातक स्तर पर किसी एक संकाय की उपाधि प्राप्त कर लेता है उसके स्नातक स्तर पर अन्य किसी संकाय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश की पात्रता नहीं है।
5. ऐसे विद्यार्थी जो महाविद्यालय की किसी कक्षा में प्रवेश लेकर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित न हुये हो, को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
6. जिन विद्यार्थियों के विरुद्ध महाविद्यालय प्राध्यापक परिषद द्वारा सर्वानुमति से प्रवेश न देने संबंधी निर्णय किया गया हो। जिनका व्यवहार पिछले सत्र में अच्छा न रहा हो।
7. विधि संकाय त्रि-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक की अधिकतम आयु शासन के निर्देशानुसार लागू होगी।

3. प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र :-

प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के पोर्टल में ऑनलाईन प्रवेश आवेदन की हार्ड कॉपी पत्र के साथ अधोलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मूल प्रति) यह केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो अन्य शैक्षणिक संस्था से इस महाविद्यालय में प्रवेश पाना चाहते हैं।
2. विगत परीक्षा के स्व-प्रमाणित अंकसूची की छाया प्रति।
3. छत्तीसगढ़ निवासी होने का प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए।
4. चरित्र प्रमाण पत्र जिन विद्यार्थियों ने निजी परीक्षार्थी के रूप में विगत अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
5. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र यह उन विद्यार्थियों के लिए देय होगा जो किसी संस्था में सेवारत हो।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग छात्र छत्तीसगढ़ शासन के तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
7. प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) यदि आवेदक ने विगत परीक्षा अन्य राज्य के बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो।
8. राज्य के बाहर के वि.वि. से उत्तीर्ण किन्तु इस महाविद्यालय में प्रवेश इच्छुक आवेदक का वि.वि. की पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. प्रत्येक छात्र को अपने प्रवेश आवेदन पत्र में अपनी पासपोर्ट साईज की एक फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
10. प्रवेश साक्षात्कार के समय संदर्भित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
11. प्रवेश लेने वाली कक्षा के पिछली परीक्षा से कक्षा 10वीं तक के परीक्षा की अंकसूची की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
12. प्रवेश प्राप्त होने की दशा में प्रत्येक छात्र को 'रैगिंग निषेध' संबंधी ओथ कमिशनर के समक्ष वेबसाइट www.antiragging.in अथवा www.amanmovement.org पर दर्शित प्रारूप में निष्पादित शपथ-पत्र की मूल प्रति जमा करनी होगी, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
13. प्रवेश के समय छात्र एवं अभिभावक समक्ष में उपस्थित रहें, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

4. शुल्क संबंधी विवरण :-

जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा प्रवेश की अनुमति दी जायेगी उन्हें सत्र प्रारंभ में शिक्षण शुल्क के साथ-साथ अन्य शुल्क भी जमा करने होंगे। यह भी ध्यान रखें कि विद्यार्थी शुल्क स्वयं जमा करें, साथ ही उसी समय रसीद प्राप्त कर लें। यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरंत प्राचार्य को सूचित करें। इस सुविधा के बावजूद भी यदि कोई विद्यार्थी रसीद प्राप्त नहीं करता तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी



की होगी। संकाय तथा विषय के अनुसार सभी शुल्क अनिवार्य है। यदि "शिक्षण शुल्क छूट" के अंतर्गत विद्यार्थी आते हैं तो वे तत्संबंधी प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टियां पूरी करके प्रवेश आवेदन - पत्र के साथ उसे प्रस्तुत करें। शिक्षण शुल्क संबंधी प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त कर लें। छत्तीसगढ़ के अन्य शासकीय महाविद्यालय से स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश लेने पर जिस अवधि के शिक्षण शुल्क का भुगतान विद्यार्थी कर चुके हैं वह इस महाविद्यालय में नहीं लिया जायेगा। नामांकन शुल्क उन विद्यार्थियों के लिए देय होगा जो बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरित होकर हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में नामांकन चाहते हैं। विज्ञान, कला एवं वाणिज्य, विधि संकायों के सभी छात्र/छात्राओं को संपूर्ण सत्र का शिक्षण शुल्क एकमुश्त प्रवेश के समय देना होगा। एक बार शुल्क देने के बाद उसका प्रत्यापन नहीं होगा।

विभिन्न शुल्को का विवरण :-

(अ) शासकीय शुल्क :

1. पूरे सत्र का शिक्षण शुल्क	—	115 /— रु.
2. महाविद्यालयीन स्टेशनरी	—	2 /— रु.
3. प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान एवं बी.सी.ए. संकाय)	—	20 /— रु.
4. प्रयोगशाला शुल्क (भूगोल एवं गृह विज्ञान विषय)	—	20 /— रु.
5. प्रवेश शुल्क	—	3 /— रु.
6. पुनः प्रवेश शुल्क	—	10 /— रु.

(ब) अशासकीय शुल्क :

1. सम्मिलित निधि	—	20 /— रु.
2. क्रीड़ा शुल्क	—	12 /— रु.
3. स्नेह सम्मेलन शुल्क	—	40 /— रु.
4. परिचय पत्र शुल्क	—	40 /— रु.
5. सायकल स्टैण्ड शुल्क	—	30 /— रु.
6. महाविद्यालय विकास शुल्क	—	25 /— रु.
7. छात्रसंघ शुल्क	—	30 /— रु.
8. चिकित्सा शुल्क	—	3 /— रु.
9. छात्र कल्याण शुल्क	—	5 /— रु.
10. वाचनालय शुल्क	—	20 /— रु.
11. ग्रंथालय कार्ड शुल्क	—	45 /— रु.
12. विभागीय पुस्तकालय शुल्क (स्नातकोत्तर)	—	40 /— रु.
13. विलम्ब शुल्क	—	100 /— रु.

(स) विश्वविद्यालयीन शुल्क :

1. शारीरिक कल्याण शुल्क	—	200 /— रु.
-------------------------	---	------------

(द) (1.) जनभागीदारी/प्रबंधन शुल्क नियमित छात्रों के लिए :-

1. बी.ए./बी.काम. संकाय के लिए	—	600 /— रु.
2. बी.एस.सी. गणित/बायो संकाय के लिए	—	700 /— रु.
3. बी.एस.सी. कम्प्यूटर/बी.सी.ए. संकाय के लिए	—	1100 /— रु.
4. एल.एल.बी. एवं एल.एल.एम. के लिए	—	1500 /— रु.



5. एम.काम./एम.ए.(राजनीति विज्ञान,समाजशास्त्र,अर्थशास्त्र)	—	600/— रु.
6. एम.एस.सी. वनस्पत्तिशास्त्र/गणित/भौतिकशास्त्र	—	700/— रु.
7. एम.ए.हिन्दी (जनभागीदारी मद से संचालित)	—	1500/— रु.
(2.) अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिए जनभागीदारी शुल्क :-	—	400/— रु.
(इ) विधि के छात्रों को प्रतिमाह विधि शिक्षण शुल्क	—	880/— रु.
(फ) रेडकास शुल्क(समस्त छात्र-छात्राओं के लिए)	—	40/— रु.
(य) स्काउट गाइड शुल्क (पंजीकृत विद्यार्थी हेतु)	—	50/— रु.

(ज) स्टेशनरी व्यय :-

1) परीक्षा संबंधी नियम की कण्डिका क्रमांक 1 के तहत प्रवेशित प्रत्येक छात्र-छात्राओं को आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के लिए 120=00 रुपये स्टेशनरी व्यय जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि प्रवेश शुल्क के साथ ही देय होगा।

धरोहर राशि (काशन मनी) :-

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी को कमशः रु. 60/— एवं 100/— धरोहर राशि अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। शासकीय निर्देशानुसार इनमें परिवर्तन किये जा सकते हैं।

धरोहर राशि की वापसी :-

1. महाविद्यालय छोड़ने पर धरोहर राशि निकालने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर माता/पिता/पालक के हस्ताक्षर सहित महाविद्यालय में 15 दिन पूर्व जमा करें।
2. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के बाद ही धरोहर राशि वापस दी जायेगी।
3. मूल रसीद संलग्न न होने पर धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के दो वर्ष के अन्दर धरोहर राशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन देना होगा। 02 वर्ष व्यतीत होने पर शासन के आदेशानुसार धरोहर राशि वापस नहीं की जावेगी उसे राजसात कर शासकीय कोष में जमा किया जावेगा।

शुल्क संबंधी रियायतें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन में सेवारत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए अध्ययन शुल्क में छूट दी जाती है। यह रियायत छात्रों को जिस कार्यालय में उनके माता पिता सेवारत हो उस कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकेगी।
2. निर्धन छात्र सहायता कोष से निर्धन व योग्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को केवल शिक्षण शुल्क में सहायता ली जावेगी।
3. छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क में नियमानुसार रियायत दी जायेगी।
4. यदि दो या अधिक भाई/बहन एक ही परिवार से इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तो उनमें से बड़े को पूर्ण एवं कनिष्ठ को आधा शुल्क देना होगा।



5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं समस्त वर्ग के छात्रा को शिक्षण शुल्क के भुगतान से पूर्णतः मुक्त है। इसके लिए उन्हें सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य शुल्क उन्हें पूरा जमा करना होगा।

5. प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र :-

प्रवेश पत्र महाविद्यालय में प्रवेश का सूचक है। प्रवेश पत्र गुम हो जाने पर शपथ पत्र के साथ पुनः 30/- रुपये जमा कर द्वितीय प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी प्राप्त होगा। अपनी उपस्थिति के दौरान परिचय पत्र साथ में रखना अनिवार्य है। इसके अभाव में महाविद्यालय में, पुस्तकालय में या अन्य स्थानों पर जहां इसका औचित्य हो विद्यार्थियों को लाभ से वंचित किया जा सकता है। परिचय पत्र में विद्यार्थियों की प्राचार्य द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो भी लगी होनी चाहिये। परिचय पत्र के गुम हो जाने पर 40/- रुपये व शपथ पत्र जमा कर द्वितीय परिचय पत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

नोट - शुल्क जमा करते समय विद्यार्थी के पास परिचय पत्र एवं प्रवेश पत्र का होना नितांत आवश्यक है

6. छात्रवृत्तियां एवं शिष्यवृत्ति :-

1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारत सरकार की ओर से नियमित विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां एवं शिष्यवृत्तियां प्रदान की जाती है। जिनका ब्यौरा सूचना फलक पर लगा दिया जाता है। इच्छुक छात्र पात्रतानुसार अपने आवेदन पर निर्धारित अंतिम तिथि के पहले भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में प्रस्तुत करें। एक छात्र/छात्रा को नियमानुसार केवल एक ही छात्रवृत्ति का लाभ लेने की पात्रता होगी। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन जमा करने से पूर्व आवेदक को स्टेट बैंक/निर्धारित अन्य बैंक में अपना बचत खाता अनिवार्यतः खोलना होगा जिसका उल्लेख प्रवेश आवेदन पत्र तथा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अनिवार्यतः करना होगा।

टीप :-

1. महाविद्यालय में विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियां महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित की जावेगी।
2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थी को शासन द्वारा संचालित बी.पी.एल. बुक बैंक योजना, बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने के लिए बी.पी.एल. (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सुविधा :-

(अ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विविध छात्रवृत्तियां दी जाती है जिसके लिए आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ब) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग छात्र/छात्राओं के लिए विशेष रिमेडियल कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की उपयुक्त समय पर महाविद्यालय द्वारा की जाती है।

7. उपस्थिति निर्देश :-

विश्वविद्यालयीन अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क. 7 के अनुसार महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने की "पात्रता" अर्जित करने हेतु उनकी 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। प्रायोगिक कक्षाओं में भी (यदि हो तो) विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रहने पर विश्वविद्यालयीन परीक्षा में



नियमित छात्र के रूप में परीक्षा देने की पात्रता नहीं होगी। ऐसे छात्रों को देय छात्रवृत्ति भी रोकी जा सकती है।

उपस्थिति की गणना सत्र में दो बार की जावेगी।

1) दिनांक 30/11/2026 की स्थिति में।

2) दिनांक 30/05/2027 की स्थिति में।

नोट : कम उपस्थिति बाबत सूची कक्षावार, विषयवार महाविद्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी एवं कक्षाओं में भी प्रसारित की जावेगी। इसकी सूचना छात्र/छात्राओं के पालकों को अभिभावक शिक्षक बैठक में दी जायेगी।

8. अभिभावक शिक्षक बैठक :-

महाविद्यालय में प्रत्येक सत्र में दो बार अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें विद्यार्थियों के अभिभावकों को शिक्षकगण उनके पाल्यों की शैक्षणिक प्रगति, उपस्थिति, आचरण व व्यवहार से अवगत कराया जाता है तथा आवश्यक सुझाव दिये जाते हैं।

तृतीय खण्ड

1. विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता :-

- विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेंगे। किसी भी स्थिति में उनकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
- प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र अनिवार्य रूप से अपने पास रखना होगा एवं समय-समय पर प्राध्यापकों द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
- विद्यार्थी महाविद्यालय में टेग लगा कर परिचय पत्र पहनकर आवेगा अन्यथा उसे परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा।
- प्रत्येक नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में अपना पंजीयन (नामांकन) कराना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- नामांकन हेतु महाविद्यालय के सूचना पटल पर एवं कक्षाओं में आवश्यक सूचना प्रसारित की जाती है। उसका पालन करना अनिवार्य है।
- विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
- अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक का मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा।
- प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- कक्षाओं में अध्यापन के समय न घूमें तथा अध्यापन में किसी भी तरह की बाधा न पहुंचाये। प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
- ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे पुस्तकें निर्धारित संख्या में ही प्राप्त होगी तथा समय से न लौटने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।



11. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
12. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
13. अध्यापन कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय के पंखे, लाईट, इलेक्ट्रिक, सिनेटरी फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना या दीवारों पर अश्लील शब्द लिखना दण्डात्मक आचरण माना जावेगा।
14. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
15. महाविद्यालय परिसर में गुटखा, मादक पदार्थों का सेवन/धूम्रपान शासन के पत्र क्रमांक 21. 10/आ.उ.शि./समन्वय/2010 रायपुर, दिनांक 18/01/2010 के अनुसार सर्वथा वर्जित है। ऐसा करते पाये जाने पर टी.सी. दिया जा सकता है।
16. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
17. विद्यार्थी राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक समरसता के लिए कार्य करेगा।
18. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है। अतः इधर-उधर थूकना, दीवारों पर गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
19. शिक्षकों/महाविद्यालयीन कर्मचारियों/सहपाठियों से अशिष्ट अशोभनीय व्यवहार कदाचरण माना जावेगा।
20. अपने वाहन को निर्धारित स्टेण्ड पर रखें अन्यथा महाविद्यालय द्वारा अर्थदण्ड लिया जा सकता है।
21. प्रवेशार्थी से महाविद्यालयीन शुल्क उसी दशा में स्वीकार किया जा सकेगा जब उसका फीस कार्ड प्रवेश संयोजक/प्राध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित हो।
22. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जावेगा।
23. विद्यार्थी रैगिंग गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगा। रैगिंग एक गंभीर अपराध है।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

2. महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशोध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
2. यदि छात्र किसी अनैतिकता या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।



3. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जावेगा।
4. महाविद्यालय द्वारा संचालित प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में मुख्य परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है।
5. छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में एवं महाविद्यालय परिसर में अनुशासन भंग किये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही (अनुशासनहीनता के लिए म.प्र./छ.ग.वि.वि नियम 1973 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार) की जावेगी।
महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

अनुशासन भंग होने पर :-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालयीन अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के तहत महाविद्यालय परिसर के भीतर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। इसके अंतर्गत निलम्बन, निष्कासन तथा परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित किये जाने का प्रावधान है।

शिकायत पंजी :-

विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में शिकायत पंजी उपलब्ध है। इसमें वे निःसंकोच अपनी कठिनाईयां लिखकर प्राचार्य को अवगत करा सकते हैं, छात्र इसके अलावा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

चतुर्थ खण्ड

1. प्रवेश आवेदन-पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश एवं अभिलेख सूची :-

1. सभी प्रविष्टियां अनिवार्यतः भरें।
2. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची अनिवार्य रूप से () चिन्ह लगायें।
3. प्रमाण पत्र यथा स्थान क्रमशः संलग्न करें।

प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों (छायाप्रति) की सूची :-

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र
2. चरित्र प्रमाण पत्र
3. जन्मतिथि का प्रमाण पत्र (10वीं की अंकसूची) एवं हायर सेकेण्डरी की अंकसूची
4. पिछली उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकसूची दो प्रतियों में स्वयं सत्यापित
5. निवास प्रमाण पत्र
6. जाति प्रमाण पत्र
7. आधार कार्ड
8. गैप प्रमाण पत्र



9. प्रवजन प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)
10. पात्रता प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)
11. नियोक्ता का अनुमति पत्र
12. रक्त समूह परीक्षण प्रमाण पत्र
13. रैगिंग निषेध संबंधी शपथ पत्र

नोट : 1. समस्त प्रविष्टियां पूर्ण करने के उपरांत प्रवेश फार्म जमा करें।
 2. आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
 3. प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन स्वयं उपस्थित होकर काउंटर पर प्रस्तुत करेगा तथा काउंटर पर पुनः हस्ताक्षर करेगा।

उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण न होने की स्थिति में प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

2. छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग प्रताड़ना का प्रतिषेध :-

(उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 26 (1) बी के अंतर्गत अधिनियम 2009)

1. रैगिंग एक अजमानतीय दण्डनीय अपराध है।
2. रैगिंग मानवीय मूल्यों का हनन है।
3. रैगिंग में निम्नलिखित का समावेश है।

मजाकपूर्ण व्यवहार या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे मानवीय मूल्य का हनन, अपमान या उपहास होता है।

किसी गलत बात के लिए बाध्य करना।

किसी विधि पूर्ण कार्य से प्रविरत करना।

व्यक्तित्व का अपमान या उपहास।

दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध।

क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग।

अपराधिक धमकी।

किसी अश्लील कार्य के लिए बाध्य करना।

विद्यार्थी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

रैगिंग के लिए दण्ड :

➤ 5 वर्ष का कारावास।

➤ रु. 5000/- जुर्माना या दोनों।

महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष 'रैगिंग' में संलिप्त न होने विषयक शपथ-पत्र का आनलाइन निष्पादन वेबसाइट www.antiragging.in अथवा www.amanmovement.org पर प्रारूप में करना होगा तथा शपथ-पत्र की हार्ड कापी प्रवेश आवेदन पत्र में संलग्न करनी होगी।



3. महाविद्यालय परिवार :-

अ. महाविद्यालयीन अधिकारी :-

क्र.	विभाग	अधिकारी का नाम	पदनाम	विषय
1.	कला संकाय	डॉ. जे.के. खलखो	प्र.प्राचार्य	समाजशास्त्र
		डॉ. दीपाली राव	सहायक प्राध्यापक	गृह विज्ञान
		प्रो. जी.एन. खरे	सहायक प्राध्यापक	भूगोल
		प्रो. जे.आर. नायक	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी
		डॉ. तुलाराम ठाकुर	सहायक प्राध्यापक	अर्थशास्त्र
2.	विज्ञान संकाय	प्रो. लोमन कुमार टंडन	सहायक प्राध्यापक	इतिहास
		डॉ. एच.एल.मानकर	सहायक प्राध्यापक	गणित
		प्रो. सी.डी. मानिकपुरी	सहायक प्राध्यापक	गणित
		डॉ. आर.एम. पटेल	सहायक प्राध्यापक	रसायनशास्त्र
		(हेमचंद यादव वि.वि.दुर्ग में प्रतिनियुक्ति पर)		
		डॉ. आर.डी.साहू	सहायक प्राध्यापक	भौतिकशास्त्र
		प्रो. रीतु पिस्टा	सहायक प्राध्यापक	प्राणीशास्त्र
		प्रो. जितेश कुमार साहू	सहायक प्राध्यापक	वनस्पतिशास्त्र
3.	वाणिज्य संकाय	प्रो. सुनीता गणेश जोशी	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य
4.	बी.सी.ए.	प्रो. शैलेन्द्र आर्य	सहायक प्राध्यापक	कम्प्यूटर एप्ली.
5.	विधि संकाय	डॉ. राघवेश पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक	विधि
		प्रो. स्वाति वैष्णव	सहायक प्राध्यापक	विधि
		डॉ. जे.के. पटेल	सहायक प्राध्यापक	विधि
6.	ग्रंथपाल		ग्रंथपाल	-
7.	क्रीड़ा विभाग	श्री मनीष टोप्पो	क्रीड़ा अधिकारी	

टीप : शेष रिक्त पदों पर शासन द्वारा एवं जनभागीदारी समिति द्वारा अध्यापन व्यवस्था की जाती है।

ब. महाविद्यालयीन कर्मचारी :-

क्र.	कर्मचारियों का नाम	पदनाम
1.	श्री पृथ्वीराज ठाकुर	छात्रावास अधीक्षक
2.	श्रीमती पुष्पा गंजीर	सहा.ग्रेड-1
3.	श्री कुलेश्वर बघेल	सहा.ग्रेड-2
4.	श्रीमती विद्या ध्रुव	डाटा एन्ट्री आपरेटर
5.	श्री हरिशचन्द्र गंजीर	प्रयोगशाला तकनीशियन
6.	श्री खिलावन राम साहू	प्रयोगशाला तकनीशियन
7.	श्री घनश्याम साहू	प्रयोगशाला तकनीशियन
8.	श्री हरिराम साहू	प्रयोगशाला तकनीशियन
9.	श्री ऐश्वर्य कुमार साहू	प्रयोगशाला तकनीशियन
10.	श्री चोवा राम ध्रुव	प्रयोगशाला तकनीशियन
11.	श्री ललित कुमार मंडावी	प्रयोगशाला परिचारक
12.	कु. नीलम साहू	प्रयोगशाला परिचारक
13.	कु. आशा निषाद	प्रयोगशाला परिचारक
14.	श्री जोहन चेलक	भृत्य
15.	श्रीमती रामबाई	भृत्य

GOVT GHANSHYAM SINGH GUPT PG COLLEGE BALOD, DIST-BALOD (C.G.)

NEP 2020 के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026-27 में महाविद्यालय में संचालित कोर्स निम्नानुसार है।

Bcom-1st Semester	BSc-1st Semester	BCA-1st Semester	BSc-Bio-1st Semester	BA-1st Semester
DSC				
COSC-01- Fundamental of Accounting	Computer Science CSSC-01 Computer Fundamental and Operating System	CASC-01 Discrete Mathematics	BOSC-01 elementary Botany	ECSC-01 Basic of Economics
COSC-02 Business Law	MASC-01 elementary Calculas	CASC-02 Computer Fundamental & MS Office	ZOSC-01 Life on earth and unique Attributes of animal Kingdom	GOSC-01 Fundamental of Physical Geography
COSC-03 Business Economics	DHSC-01 Mechanic	CASC-03 Operating System	CHSC-01 Fundamental Chemistry	HNSC-01 Hindi Sahitya Ka Itihas
-	Mathematics MASC-01 Elementary Calculas	-	BTSC-01 Cell Biology and Biochemistry	HISC-01 Ancient Indian History/ENSC-01 Introduction to the Study of English Literature
-	PHSC-01 Mechanic	-	-	PSSC-01 Introduction to Political Theory/HOSC-01 Introduction to Textile
-	PHSC-01 Fundamental chemistry (I)	-	-	SOSC-01 Introduction to Sociology
AEC				
Environmental Studies	English	English	English	Hindi

GE

BOGE-01 Elementary Botany	BOGE-01 Elementary Botany	BOGE-01 Elementary Botany	ECGE-01 Basic Economics	BOGE-01 Elementary Botany
BOGE-01 Elementary Botany	BOGE-01 Elementary Botany	BOGE-01 Elementary Botany	ECGE-01 Basic Economics	BOGE-01 Elementary Botany
BTGE-01 Cell Biology and Biochemistry	BTGE-01 Cell Biology and Biochemistry	BTGE-01 Cell Biology and Biochemistry	GOG-01 Fundamental of Physical Geography	BTGE-01 Cell Biology and Biochemistry
ZOGE-01 Life on earth and unique Attributes of animal Kingdom	ZOGE-01 Life on earth and unique Attributes of animal Kingdom	ZOGE-01 Life on earth and unique Attributes of animal Kingdom	HNGE-01 Hindi Sahitya Ka Itihas	ZOGE-01 Life on earth and unique Attributes of animal Kingdom
ECGE-01 Basic Economics	ECGE-01 Basic Economics	ECGE-01 Basic Economics	HIGE-01 Ancient Indian History	COGE-01- Fundamental of Accounting
GOG-01 Fundamental of Physical Geography	GOG-01 Fundamental of Physical Geography	GOG-01 Fundamental of Physical Geography	HOG-01 Introduction to Textile	COGE-02 Business Law
HNGE-01 Hindi Sahitya Ka Itihas	HNGE-01 Hindi Sahitya Ka Itihas	HNGE-01 Hindi Sahitya Ka Itihas	PSGE-01 Introduction to Political Theory	COGE-03 Business Economics
HIGE-01 Ancient Indian History	HIGE-01 Ancient Indian History	HIGE-01 Ancient Indian History	SOGE-01 Introduction to Sociology	MAGE-01 Elementary Calculus
HOG-01 Introduction to Textile	HOG-01 Introduction to Textile	HOG-01 Introduction to Textile	COGE-01- Fundamental of Accounting	PHGE-01 Mechanics
PSGE-01 Introduction to Political Theory	PSGE-01 Introduction to Political Theory	PSGE-01 Introduction to Political Theory	COGE-02 Business Law	CSGE-01 Computer Fundamental and Operating System
SOGE-01 Introduction to Sociology	SOGE-01 Introduction to Sociology	SOGE-01 Introduction to Sociology	COGE-03 Business Economics	CAGE-01 Computer Fundamental & MS Office
MAGE-01 Elementary Calculus	COGE-01- Fundamental of Accounting	COGE-01- Fundamental of Accounting	MAGE-01 Elementary Calculus	CAGE-02 Operating System
PHGE-01 Mechanic	COGE-02 Business Law	COGE-02 Business Law	PHGE-01 Mechanic	-
CAGE-01 Computer Fundamental & MS Office	COGE-03 Business Economics	COGE-03 Business Economics	CSGE-01 Computer Fundamental and Operating System	-
CAGE-02 Operating System	CAGE-01 Computer Fundamental MS Office	MAGE-01 Elementary Calculus	CAGE-01 Computer Fundamental & MS Office	-
CSGE-01 Computer Fundamental and Operating System	CAGE-02 Operating System	PHGE-01 Mechanics	CAGE-02 Operating System	

VAC

BOVAC-01- Herbal Plant & Human Health	BOVAC-01- Herbal Plant & Human Health	BOVAC-01- Herbal Plant & Human Health	BOVAC-01- Herbal Plant & Human Health	BOVAC-01- Herbal Plant & Human Health
CHVAC-01- Chemistry in Dally Life	CHVAC-01- Chemistry in Dally Life	CHVAC-01- Chemistry in Dally Life	CHVAC-01- Chemistry in Dally Life	CHVAC-01- Chemistry in Dally Life
COVAC-01- Concept of Business	COVAC-01- Concept of Business	COVAC-01- Concept of Business	COVAC-01- Concept of Business	COVAC-01- Concept of Business
GOVAC-01- Geographycal Knoweldege in Ancient India	GOVAC-01- Geographycal Knoweldege Ancient India	GOVAC-01- Geographycal Knoweldege Ancient India	GOVAC-01- Geographycal Knoweldege Ancient India	GOVAC-01- Geographycal Knoweldege Ancient India
HIVAC-01- History of India National Movement 1857-1947	HIVAC-01- History of India National Movement 1857-1947	HIVAC-01- History of India National Movement 1857-1947	HIVAC-01- History of India National Movement 1857-1947	HIVAC-01- History of India National Movement 1857-1947
HOVAC-01- Techniques of Food Preservation	HOVAC-01- Techniques of Food Preservation	HOVAC-01- Techniques of Food Preservation	HOVAC-01- Techniques of Food Preservation	HOVAC-01- Techniques of Food Preservation
PAVAC-01- Panchayati Raj System	PAVAC-01- Panchayati Raj System	PAVAC-01- Panchayati Raj System	PAVAC-01- Panchayati Raj System	PAVAC-01- Panchayati Raj System
PSVAC-01- Constitutional Values	PSVAC-01- Constitutional Values	PSVAC-01- Constitutional Values	PSVAC-01- Constitutional Values	PSVAC-01- Constitutional Values
ZOVAC-01- Public Health and Hygiene	ZOVAC-01- Public Health and Hygiene	ZOVAC-01- Public Health and Hygiene	ZOVAC-01- Public Health and Hygiene	ZOVAC-01- Public Health and Hygiene
PHVAC-01- Renewable Energy and Energy Harvesting	PHVAC-01- Renewable Energy and Energy Harvesting	PHVAC-01- Renewable Energy and Energy Harvesting	PHVAC-01- Renewable Energy and Energy Harvesting	PHVAC-01- Renewable Energy and Energy Harvesting
MAVAC-01- Basic Mathematics and Logic				

NEP Co-ordinator

Principal

**GOVT. GHANSHYAM SINGH GUPT PG COLLEGE BALOD**

COLLEGE ACADEMIC CALENDER SESSION 2026-27

MONTH**PROGRAM****DATE****Jun-26**

Reopening of college after vacation

15-06-2026

Admission for UG/PG first Semester

15/06/26 to 14/08/2026

Admission For other Semester

15/6/26to 14/08/26or Under 10
day after result declare**Jul-26**

Start Regular class for U.G./P.G. classes

01-07-2026

Meeting of staff council

First Week

Plantation Abhiyan

Second Week

First meeting of janbhagidari committee

Third Week

Induction program/Anti Raging Lature for
Ist Sem NEP students

Last week

Aug-26Allotment of GE/DSE/SEC & VAC for
NEP Regular students

First Week

International Commerce Day

First Week

NEP Ambassador Nomination

Second Week

Induction program/Anti Raging Lecture for
students

Second Week

Admission With the permission of vice-
chancellor

14-08-2026

Independance Day(Prize Distribution)

15-08-2026

world enterpreneurship Day

21-08-2026

Sadbhavana Day (Relly & Oath)

21-08-2026

Nomination of Student in NSS & RedCross
and Red Ribbion Club

Third Week

Student Union Election and Student Union

as per Govertment Guideline

Allotment of assigment

Last Week

National Sport Day

29-08-2026

First Unit Test

First Week

Defferent Socity & PTM meeting

Last Week

Sep-26

National Teacher's Day

05-09-2026

First CIA Test / Quiz

08-09-2026 to 12-09-2026

Legel literary Day/ HIMALYAS DAY

09-09-2026

International Hindi Day

14-09-2026

Induction program/Anti Raging Lature for
Ist Sem NEP Private Students

15-09-2026

World Ozon Day

16-09-2026

NSS regular activities

Saturday of every Week



	NSS establishment Day/ World River Day	24-09-2026
	Allotment of GE/DSE/SEC & VAC for NEP Private students	25-09-2026
	World Ocean Day	28-09-2026
	Second unit Test	30-09-2026
	Internal assessment for PG First Test	Last Week
	Establishment of PG council & ceremony	Last Week of Sep.
	Allotment of assignment for NEP Private	01-10-2026
	Gandhi jayanti & Swachchhata Abhiyan	02-10-2026
	National blood Donation Day(camp)	First Week
	Evaluation of Assingments First CIA & Quiz	10-10-2026
Oct-26	First CIA & Quiz for Private NEP students	07-10-2026 to 10-10-2026
	Internal assessment for PG Second Test	Last Week
	World Food Day	16-10-2026
	Second CIA Test/Quiz	13/10/2026 to 17/10/2026
	Dasera vacation	19-10-2026 To 21-10-2026
	National Unity Day(Oath/lecture)	28-10-2026
	State Funtion Day	01-11-2026
	Third Unit Text	06-11-2026
	Legal Service Authority	09-11-2026
	NSS camp	First Week
Nov-26	Diwali Vacation	07-11-2026 to 11-11-2026
	Second CIA & Quiz for Private NEP students	13-11-2026 to 17-11-2026
	Practical Exam For PG	as per University time table
	Womens Entrepreneurship Day	19-11-2026
	World Heritage Day	Last Week
	Constitutional Day	26-11-2026
	Aids Day	01-12-2026
	Computer Literacy Day	02-12-2026
	Blood Test camp (NSS)	First Week
	International Nasha nishedh Day	07-12-2026
Dec-26	World Human Right Day	10-12-2026
	End Sem. Exam for PG/LLB & UG Semester	As per University Time Table
	Moot court program	16-12-2026
	National Mathematics Day	22-12-2026
	Sports College level	Third Week
	Winter Vacation	28/12/2026 to 30/12/2026

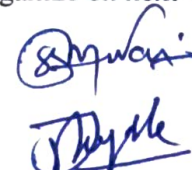


	Practical Exam For NEP	As per University Time Table
Jan-27	Classes Start For II/IV/VI Sem	04-01-2027
	Annual function & Prize Distribution ceremony	Second Week
	Induction Program	15-01-2027 To 20-01-2027
	Basant Panchami	23-01-2027
	Voters Day	25-01-2027
	Republic Day (Prize Distribution)	26-01-2027
	International Custom Day	31-01-2027
Feb-27	DSE /GE and VAC/SEC selection	05-02-2027 To 10-02-2027
	Workshop/ Seminar	First Week
	First Internal Exam For PG	Second Week
	Allotments of assignments	06-02-2027 To 12-02-2027
	First CIA for NEP	23-02-2027 To 27-02-2027
	National Science Day	28-02-2027
Mar-27	National Women Day	08-03-2027
	World Consumers Right Day	15-03-2027
	Second Internal For PG	Last Week
Apr-27	Second CIA For NEP	06-04-2027 TO 10-04-2027
	Evaluation of CIA & Assignments	17-04-2027 To 24-04-2027
	Practical Exam For PG & NEP	as per University time table
	Exam Preparation	24-04-2027 To 30-04-2027
May-27	National Redcross Day	08-05-2027
	End Sem. Exam For PG	as per University Time Table
	End Sem. Exam For NEP	as per University Time Table
Jun-27	Summer Vacation	17-05-2027 To 15-06-2027

Note -

1. Academic Calender can be revised as per guidelines of Hemchand Yadav University Durg (C.G.) /Higher Education Department of Chhattisgarh Govt.
2. Cocurricular/Other activities will continue to be held as per schedule without disturbing the regular Classes.
3. NSS activities will commence on every Saturday of month.
4. Red Cross activities held as guideline of Incharge.
5. If the day comes on Sunday/Holiday then event will organize on next working day.




सिनेट दफ्तरीय अंगणव ०१



ANNEXURE – I

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I.....(Full Name of student with admission/registration/enrolment number) S/o d/o
Mr./Mrs./Ms.....Having been admitted to
(Name the institution)

have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institution, 2009, (hereinafter called the "Regulation") Carefully read and fully understood the provision contained in the said regulations.

2. I have in particular, perused clause 3 of the Regulation and as to what constitutes ragging.
 3. I have also. In particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
 4. I hereby solemnly aver and undertake that
 - (a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of Regulations.
 - (b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulation.
 5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging. I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law for the time being in force.
 6. I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission on any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging and further affirm that, in case the declaration found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.
- Declared thisday of Month ofYear

Signature of deponent

Name :

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at(Place) on this the(Day) of(Month)(Year)

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the(Day) of(Month)(Year)
after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER



ANNEXURE – II

AFFIDAVIT BY PARENTS/GUARDIAN

1 Mr./Mrs./Ms..... (Full Name of Student) father/mother/guardian of
mr/mrs/ms..... (Full Name of student with admission/registration/enrolment number)

Having been admitted to (Name the institution)
have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational
Institution, 2009, (hereinafter called the "Regulation") Carefully read and fully understood the provision
contained in the said regulations.

2. I have in particular, perused clause 3 of the Regulation and aware as to what constitutes ragging.

3. I have also. In particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the
penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting
ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4. I hereby solemnly aver and undertake that

(a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of
Regulations.

(b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be
constituted as ragging under clause 3 of the Regulation.

5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging. I am liable for punishment according to clause 9.1 of the
Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal
law for the time being in force.

6. I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission on any institution in the
country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging and
further affirm that, in case the declaration found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be
cancelled.

Declared this day of Month of Year

Signature of deponent

Name :

Address:

Telephone/Mobile No.

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true the best of my knowledge and of the affidavit is false
and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (Place) on this the (Day) of (Month) (Year)

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (Day) of (Month) (Year)
after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER